

मत्स्य निदेशालय,  
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-IV-लेखा-308/2021-22/ 24(अ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.03.2026

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार,  
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो० 988.3841 लाख (नौ करोड़ अठासी लाख अड़तीस हजार चार सौ दस) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं०-57 रा० (वि०) दिनांक 26.03.2026, ऑन-लाईन स्वीकृत्यादेश सं०-2769, आवंटनादेश सं० 82 आ० (वि०) दिनांक 26.03.2026 तथा ऑन-लाईन आवंटन सं० 5940।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अन्तर्गत उप शीर्ष-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत मो० 988.3841 लाख (नौ करोड़ अठासी लाख अड़तीस हजार चार सौ दस) रु० मात्र सामान्य स्वीकृत्यादेश सं०-57 रा० (वि०) दिनांक 26.03.2026, ऑन-लाईन स्वीकृत्यादेश सं०-2769, आवंटनादेश सं० 83 आ० (वि०) दिनांक 26.03.2026 तथा ऑन-लाईन आवंटन सं० 5940 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 988.3841 लाख (नौ करोड़ अठासी लाख अड़तीस हजार चार सौ दस) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-27/बी०टी०ई०-11/2024-25/338/बजट दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्राप्त बजट उपबंध एवं पत्रांक-29/बी०टी०ई०-05/ 2025-26/855/बजट दिनांक 15.12.2025 द्वारा द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

 2026





3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 45 निर्माण	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S4405007967 2010545	
1	2	4	5
1	जि०म०पदा०-सह-मु०कार्य०पदा०, राँची	98838410	98838410
कुल योग:		98838410	98838410

कुल आवंटन मो० नौ करोड़ अठासी लाख अड़तीस हजार चार सौ दस रु० मात्र।

4. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं सुसंगत परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
7. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे जो राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश का अनुपालन करते हुए संबंधित कोषागार से करेंगे।

24 (370)  
26/03/2026

यु.ए.

अ.अ.

ग.ग.

ख.ख.

10. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
11. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय।
12. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश का अक्षरशः पालन किया जाए।
13. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन।

विश्वासभाजन  
26.03.26  
(अमरेन्द्र कुमार)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-308/2021-22/ 24 (आ) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.03.2026  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप मत्स्य निदेशक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/03/26

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-308/2021-22/ 24 (आ) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.03.2026  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/03/26

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

26/03/26

26/03/26



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - IV/308/25-26/2/24

दिनांक - 26-Mar-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 44050079672010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 72 - तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार 01-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार 05 - निर्माण State Scheme	117408	DRNFSH005 JAYANT RANJAN DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 45 - निर्माण कार्य	98,838,410.00 रुपये नौ करोड अठ्यासी लाख अडतीस हजार चार सौ दस
	State Scheme : Central Scheme :	RECLAMATION AND DEVELOPMENT OF TANK AND RESERVOIR FISHERIES(0560) NA		

योग:

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड अठ्यासी लाख अडतीस हजार चार सौ दस

(AMARENDA KUMAR)  
DIRECTOR FISHERIES

98,838,410.00

त्रितीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 72 - तालाब तथा जलाशय  
मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S44050079672010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNFSH005	Jayant Ranjan	Dist.Fish.Off.Cum Ex.Officer	₹9,88,38,410.00 (117408)	₹9,88,38,410.00

कुल आवंटित राशि :- ₹9,88,38,410.00 ( ukS djksM vB;klh yk[k vMrhl gtkj pkj lkS nl ) रूपये मात्र |  
टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

24 (8710)  
26/03/2026

M J S R

26.03.26  
(AMARENDRA KUMAR)  
DIRECTOR FISHERIES